शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
58 Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

ग्राम पंचायत और अनुसूचित जाति महिलाएं

सुनीता रानी
शोधार्थी, समाज शास्त्र,
एम0 एम0 एच0 कालेज गाजियाबाद
Email: sanjeev836@batia@gmail.com

डॉ0 राकेश कुमार राणा
असि0 प्रोफे0
एम0 एम0 एच0 कालेज गाजियाबाद

सारांश

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में कमजोर तबको के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें विशेष कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को आबादी के बराबर आरक्षण का प्रावधान है। इसी आरक्षण के अन्दर इन जातियों की महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। ताकि विशेष कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला राजनिति में भागीदार होकर सदियों से वंचित अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सशक्तीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो सके।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थानों के 2013–14 के आंकडों के अनुसार एक–तिहाई आरक्षण से अनुसूचित जाति महिलाओं की राजनिति में भागीदारी बढी। प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व द्वारा पंचायत राज के क्रियान्वयन का विश्लेषण और उसकी व्यख्या की गई है। इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, गांव की मुख्य समस्याऐं, कार्य करने में आने वाली मुख्य समस्याऐं, शासकीय अधिकारियों से संबंध एवं प्रशिक्षण जैस क्रियान्वयन से जुडे महत्वपूर्ण मुददो को इसमें शामिल किया गया है।

जिसमें अनुसूचित जाति महिलाओं की राजनिति में भागीदारी की भूमिका की स्थिति ज्ञात होती है अतः उनके इस सराहनीय कदम को ओर मजबूत बनाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार कुछ विशेष कदम उठाने होगें जो समस्या उनकी भागीदारी को बढानें और जमीनी स्तर पर कार्यों को क्रियान्वयन करने में कठिनाई को दूर कर सके जैसे जाति–व्यवस्था प्रशिक्षण, अशिक्षा, आर्थिक स्थिति, खास तबको का वर्चस्व, सरकारी कर्मचारियों का असहयोग अतः सरकार द्वारा नेतृत्व के लिए विकेन्द्रीकरण की मूल अवधारणा को समझतें हुए गंम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में महात्मा गांधी के आगमन से पहलें जितने भी नारीवादी आन्दोलन थें उनका आधार महिलाओं को उचित स्थान व सम्मान दिलानें का था, लेकिन महिलाओं को केन्द्र, राज्य, स्थानीय निकायों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिले। इसके लिए कोई

प्रयास नही किये गये थें। महात्मा गांधी ने पहली बार स्वतन्त्रता आन्दोलन को महिलाओं की मुक्ति से जोडा।

1925 में उन्होनें कहा था, ''जब तक भारत की महिला सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेगी तब तक इस देश को मुक्ति नही मिल सकती''। मेरे लिए ऐसे स्वराज का कोई अर्थ नही है। जिसको प्राप्त करने में महिलाओं ने अपना भरपूर योगदान न दिया हो। ''गांधी जी की पहल पर पहली बार महिलाएं बडे पैमाने पर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुई। उन्होनें अपने अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित की।

भारत में महिलाएं सामाजिक परिर्वतन के विभिन्न दौर से गुजरी हैं। लिंग विभेद व जाति–व्यवस्था ने उन्हें समाज के साथ सार्थक सवांद स्थापित करने व अपने आपको अभिव्यक्त करने के समुचित अवसर प्रदान नही किए।

इसे भारतीय समाज की विडम्बना ही कहा जायेगा कि आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था और लिंग विभेद आज भी अपनी जडें पकडी हुई हैं। जाति से जुडी वैचारिक मान्यताओं के चलते तथाकथित निम्न जाति के लोगों को उपेक्षित, गरीब, सर्वहारा, और दलित शब्द के संम्बोधनो से जोडकर देखा जाता है। इस प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं को वैचारिक तथा संरचनात्मक स्तर पर भी भारतीय समाज में निम्न स्थान प्राप्त होने के कारण एक तिरस्कार की जिन्दगी जीने को अभिग्रस्त होना पडता है। पूरे देश मे अनुसूचित जाति की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पडता है। उनके मानवधिकारों की आज भी धज्जियां उडायी जाती हैं। आज सरकार कितने भी दावें दिखाये कि हम जाति व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं लेकिन आजादी के 60 वर्ष बाद स्थिति कुछ ज्यादा बदली नही है। आज जब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। ताकि महिलाएं लिंग विभेद की असमानता को तोडकर आगे आये तो दलित महिलाओं की स्थिति और भी गंभीर है। मानवधिकार और दलित महिलाओं का गहरा सम्बन्ध है। दूर दराज के गांव में दलित महिलाएं आज भी सिर पर मैला ढो रही हैं इन दलित महिलाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है उनके साथ छुआ छूत की जाति है। महिलाएं अपने आप मे एक कमजोर वर्ग हैं कि वें अपनी आवाज तक नही उठा सकती। इसके अलावा ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक व सचेत भी नही हैं। विभिन्न शोध व सरकारी रिपोर्ट बताती हैं कि दलित औरतें आज भी निचले पायदान पर हैं।

कोई भी समाज असमानता के आधार पर विकसित व संम्पूर्ण राष्ट्र नही बन सकता। अतः भारतीय संविधान के अनुसार इसमे जाति, धर्म, लिंग, रंग भेद, नस्ल, निवास स्थान आदि के आधार पर समान माने जायेगें।

इसी कदम में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सभी स्तर पर प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति की महिलाओं में नवीन उत्साह का संचार हुआ है। महिलाओं की भागीदारी बढनें से समाज का उपेक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति की महिलाएं) भी निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी बनी हैं।

73वें संशोधन के जरिए संविधान में 'पंचायत' शीर्षक से एक नया खंड 9 जोडा गया। इसके साथ ही 11 वीं अनुसूची भी बनाई गई जिसमें पंचायतों के काम काज के दायरे में आने वाले 29 विषयों को शामिल किया गया। इस संशोधन के जरिए राज्य के नीति निर्धाक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 को लागू किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के वास्ते जरूरी शक्तियां और अधिकार मुहैया कराएगी।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कमजोर तबका के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबादी में उनके अनुपात के बराबर आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण के अंदर कम–से–कम एक तिहाई सीटें इन्हीं समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

यदि आरक्षण मात्र महिलाओं को दिया जाता तो ज्यादातर सवर्ण और सम्पन्न परिवारों की महिलाएं ही राजनीति में भागीदार होती। अतः आरक्षण केवल एक वर्ग में ही नही बल्कि अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। ताकि अनुसूचित जाति की महिलाएं भी राजनीति में भागीदार होकर अपने आप को सशक्त बना सके।

भारतीय लोक प्रशासन के संस्थान 2013–2014 के आकडों के अनुसार पंचायत राज संस्थान में आरक्षण से अनुसूचित जाति की महिलाओं को राजनीति भागीदारी और फैसला लेने की प्रकिया में हिस्सेदारी का अवसर दिया है। अतः महिलाओं की सहभागिता को और बढाने के लिए देश के 29 राज्यो में से 17 राज्यों ने पंचायतों में 5 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर चुके हैं। उनके इस फैसले से केवल एक विशेष वर्ग की महिलाएं ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछडें वर्ग की महिलाओं की भी राजनीति में भागीदारी बढेगी।

अतः अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढने के साथ ही उनके नेतृत्व द्वारा पंचायतीं राज के महत्वपूर्ण कार्यों का क्रियान्वयन कर रहीं हैं। जिनका उल्लेख इसमें शामिल किया गया है।

ग्राम सभा, ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत, गांव की मुख्य समस्याएं, कार्य करने में आने वाली मुख्य बाधाएं, अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों से संबंध एंव प्रशिक्षण आदि।

ग्राम सभा की बैठक की जानकारी

अनुसूचित जाति महिला वर्ग के निर्देशन में शामिल सरपंचों से ग्राम सभा की बैठक के बारे में जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसके तहत 53.19 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की बैठक के बारे में जानकारी सही है। वर्ष में चार बार नियमित अन्तराल में बैठक होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य है कि 44 (46.81 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों को इसकी ठीक जानकारी नही है।

इस बात से यह स्पष्ट है कि ग्राम सभा सरीखी अति महत्वपूर्ण संस्था के कार्यकरण की सही जिम्मेदारी विधान के जरिए जिन्हें प्रदान की गई है उनको इसके प्रावधानों का स्पष्ट

एवं सही ज्ञान नहीं है।

ग्राम सभा की बैठक के लिए जरूरी गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी

ग्राम सभा की बैठक के लिए जरूरी गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी बताया गया है। इसके अन्तर्गत केवल 23.40 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को ही सही जानकारी है कि गणपूर्ति के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है जिसमें 1/3 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। तीन चौथाई से ज्यादा (76.60 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों को इस मूल भूत तथ्य की जानकारी नही है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की जानकारी का स्तर बहुत नीचे है।

ग्राम पंचायतः सबसे निचली इकाई

ग्राम पंचायत की बैठक के अन्तराल के बारे में जानकारी ली गई। विधान के तहत ग्राम पंचायत की बैठक हर माह में एक बार होनी चाहिए। 81.11 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को इस अन्तराल की जानकारी है। मात्र 14.89 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को ही इसकी जानकारी नहीं है कि ग्राम पंचायत की बैठकों में अन्तराल कितना होता है। इससे साफ है कि ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी का स्तर कितना उच्च है।

ग्राम पंचायत की बैठकों में महिला नियमित भाग लेती है

ग्राम पंचायत की बैठकों में भागीदारी को दिखाया गया हैं। इसके 86.17 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने पंचायत की बैठकों में अपनी भागीदारी को नियमित बताया है। मात्र 13.83 प्रतिशत ही बैठकों में नियमित रूप भाग नही लेती है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग में ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित उपस्थिति रहने का जज्बा है।

ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं को नियमित भाग न लेने का कारण

ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित भाग न लेने के कारणों को बताया गया है। ऐसी 13 उत्तरदात्रियों में से सबसे ज्यादा 53.84 प्रतिशत मजदूरी या कृषि कार्यों में व्यस्तता के चलते भाग नही ले पाती हैं। अशिक्षा तथा जानकारी के अभाव की वजह से भाग न लेने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या 23.08 प्रतिशत है। 23.08 प्रतिशत ही ऐसी उत्तरदात्रियां है जिनमें भाग न लेने की वजह उनके स्थान पर पति का बैठकों में भाग लेना है। 15.38 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के भाग न लेने की वजह उनके स्थान पर परिवार के दूसरे पुरूषों का भाग लेना है। इस प्रकार से भाग न लेने के कारणों को मजदूरी एवं कृषि कार्यों में व्यस्तता सबसे प्रमुख कारण है।

पंचायत के कार्यों को करने में आने वाली बाधाएँ कौन–कौन सी हैं

पंचायत के कार्यों को करने आने वाली मुख्य बाधाओं का उल्लेख किया गया है। इसके आधार पर 40.43 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने वित्त के अभाव को प्रमुख बाधा बताया है। 34.05 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी भी हैं जिनको पंचायत के कार्यों को करने में कोई बाधा प्रस्तुत नही होती है। अशिक्षा एवं कानूनी पेचीदगियों के बारे में प्रति समझ के अभाव को 28.72 प्रतिशत

उत्तरदात्रियों ने मुख्य बाधा बताया। शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के असहयोग को 19.15 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने मुख्य बाधा बताया। वहीं गांव में मौजूद गुटबाजी को भी 5.32 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने मुख्य बाधा बताया। अतः यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के नेतृत्व के बहुत बडे प्रतिशत को कार्य के मार्ग में बाधाएं आती है। वित्त का अभाव उसमें सर्वाधिक बडी बाधा है।

पंचायती राज व्यवस्था के उत्तर दायित्वों के निर्वाहन में अनुसूचित जाति महिला वर्ग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को ज्यादा प्रभावशाली बनाने हेतु नेतृत्व के लिए विकेन्द्रीकरण की मूल अवधारणा को समझते हुए गम्भीर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

आज भी कई गांव में जातिवाद विद्यमान है और अपनी जडें पकडे हुए है। कुछ गांव में जहां महिला सरपंच अनुसूचित जाति की है वहां अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछडे वर्ग की सरपंच महिला हैं वे पंचायत की बैठकों में नहीं जाती क्योंकि उनका मानना है कि अन्य महिला सरपंच निचली जाति की है और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठने से उनका अपमान होगा।

प्रशिक्षण

पंचायतों में निर्वाचित होकर आए जनप्रतिनिधियों के बहुत बडे अंश को पंचायतों में कार्य करने का औपचारिक अनुभव न होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कानूनी प्रावधानों और कार्य करने के तौर तरीकों को समझाने की दृष्टि से प्रशिक्षण विशेष महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण की विशेष उपयोगिता महिलाओं एवं अनुसूचित जाति वर्गों के लिए है। शासन पर सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की कोशिश है।

प्रशिक्षण के अनुभव का विश्लेषण किया गया है 60.64 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने शासन द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण में भाग लिया है। ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेने का 39.36 प्रतिशत को अवसर प्राप्त नही हुआ है। अतः यह साफ है कि अनुसूचित जाति महिला वर्ग, जिसको कि प्रशिक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है, का एक उल्लेखनीय प्रतिशत इस प्रशिक्षण से अपने पूरे कार्य काल में वंचित रहा है। प्रशिक्षण को सघन एवं समूह विशेष पर केन्द्रित किए जाने से अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है।

शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। इससे व्यक्तित्व में एक और नवीन उन्मेषों के प्रति जागरूकता पैदा होती है, वही व्यक्ति पर वैचारिक दृढता, प्रखर चिन्तन, महत्वाकाक्षां, आदि गुणो का समावेश होता है।

अनुसूचित जातियों की सामाजिक अयोग्यता शोषण, सामाजिक अधीनता की मुख्य वजह अशिक्षा रही है। भले ही कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि अपने अनुभव से गांव की समस्या को समझ कर उनका निदान करते हैं लेकिन शिक्षित नहीं होने के कारण वे न तो कार्यक्रम बनाने

और उन्हें लागू करने में दिक्कतों का सामना करना पडता है। कई बार तो कोष के उपयोग की पूरी जानकारी दिये बिना ही उनसे कोरे चैक पर या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं अतः केन्द्र व राज्य सरकार को चुने हुए कमजोर तबको के प्रतिनिधियों को शिक्षित करने और प्रशासनिक योग्यता बढाने के लिए विशेष कदम उठाना चाहिए।

खास तबको का वर्चस्व

ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर उच्च तबके के लोग हमेशा अपनी स्थिति को बनायें रखने के लिए निम्न तबके (शोषित लोगों) से हमेशा उच्च–निम्न पायदान को लेकर गम्भीर रहते हैं ताकि ये शोषित लोग जब सत्ता में काबिज होगें तो कही ये वर्ग उनसे अपने अधिकारों को हासिल करने का प्रयास आवश्य करेगें। जिस कारण उन्हें अपने विशेषाधिकारों को छोडना होगा और समाज के लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनका कब्जे का स्वप्न समाप्त हो जायेगा। इसी कारण कई बार पंचायत के काम–काज में अनुसूचित जातियों के पदाधिकारियों के साथ सहयोग नही करते। उन्हें पंचायत के दस्तावेज और बही–खाते को देखनें से रोका जाता है। कई बार तो इन वर्गों के लोगों को पंचायत भवन में जाने व उसकी कार्यवाही में हिस्सा लेने और कुर्सी पर बैठने से भी रोका गया है।

आर्थिक स्थिति

अनुसूचित जाति की महिलाओं की पंचायत में भागीदारी में उनकी आर्थिक स्थिति अहम् बिन्दु रही है। आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण ये वर्ग शिक्षा से कोसो दूर रहा है अतः महिलाएं पंचायत के कार्यों को पूरा करे या अपने परिवार के पालन–पोषण के लिए मजदूरी, कृषि या अन्य कार्यों को करें। अतः सरकार द्वारा इन वंचित वर्ग की महिलाओं की स्थिति को सुधारनें के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होगें। ताकि ये महिला प्रतिनिधि आर्थिक स्थिति से उठकर पंचायतों के कार्यों में अपना बहुमूल्य समय दे सकें।

सरकारी कर्मचारियों का असहयोग

कमजोर वर्गों के लोग या महिलाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी प्रताडित होते हैं। क्योंकि ये अक्सर पूर्वग्रहों से ग्रस्त होते हैं। इन अधिकारियों को लगता है कि महिला, अनुसूचित जाति की महिला, अनुसूचित जनजाति महिलाओं में पंचायत के काम–काज सुचारू ढंग से नही सकते इसलिए चुनाव जीतने पर भी कमजोर तबको के प्रतिनिधियों को अपने काम काज के संचालन में अक्सर सरकारी कर्मचारी का असहयोग का सामना करना पडता है।

यदि पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने और उनके काम काज में कमजोर तबको की भागीदारी को और बढाने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

1–अनुसूचित जाति वर्ग की महिला प्रतिनिधि को शिक्षित करने उनका प्रशासनिक योग्यता बढाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाना चाहिए। इस काम में स्वयं सेवी संगठन भी सरकारी प्रयासों में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।

2– ग्राम सभाएं पंचायतीं राज व्यवस्था मे विचार विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण मंच है लेकिन देखा गया है। इन सभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रहती है। इसलिए इन बैठकों का आयोजन ऐसे समय पर करना चाहिए जब कमजोर तबके के सदस्य घर या रोजगार के काम काज में व्यस्त नही रहते हो साथ ही यदि इन बैठको में हिस्सा लेने से यदि उन्हे कोई आर्थिक हानि हो तो उसकी भरपाई की व्यवस्था करना एक अच्छा कदम हैं।

3–पंचायत कार्यालयों में साम्प्रदायिक, जातीय और आर्थिक आधार पर कमजोर तबको के साथ किसी भी तरह का भेदभाव को रोकने व उसके खिलाफ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है।

4–पंचायतीं राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पर खडे समुदायों में शिक्षा और प्रशासनिक दक्षता का प्रसार कर उन्हें सामूहिक कोशिश के जरिय अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए आत्मविश्वास जगाया है। पंचायतीं राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं की भागीदारी को और सार्थक बनाने की जरूरत है। ताकि भारत देश को सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय पर आधारित एक ऐसा आदर्श देश में तब्दील किया जा सके जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार मिलें।

सन्दर्भ ग्रंथ

1– शर्मा कविता– *''स्त्री सशक्तीकरण के आयाम''* पंचायतों में महिलाएं पृष्ठ संख्या **121–122**

2– प्रो शर्मा लाल बहादुर– *''संविधान और महिला अधिकार''* दलित औरतों के मानव अधिकार पृष्ठ संख्या **166**

3– सिंह मिनाक्षी– *''महिला कानून''* संविधान में महिला विधि'' पृष्ठ संख्या **19**

4– कुमार पार्थिव– *''नए समाज की बुनियाद पंचायती राज''* योजना पत्रिका माह अगस्त 2018 (भारत सरकार, नई दिल्ली) पृष्ठ संख्या **46**

5– पाण्डेय कुमार जितेन्द्र– *''पंचायती राज और ग्रामीण महिला सशक्तीकरण''* योजना पत्रिका माह अक्टूबर 2018 (भारत सरकार, नई दिल्ली) पृष्ठ संख्या **42**

6– कुमार पार्थिव– *''नए समाज की बुनियाद पंचायती राज''* योजना पत्रिका माह अगस्त 2018 (भारत सरकार, नई दिल्ली) पृष्ठ संख्या **46**

7– डॉ शर्मा विरेन्द्र, डॉ शर्मा ऋचा– *''पंचायती राज''* पंचायती राज का कियान्वयन एंव अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पृष्ठ संख्या **54 से 59, 61** से **62, 73 से 74, 77**

8– निशीथ शर्मा राकेश– *''पंचायती राज तब और अब''* पंचायती राज संस्थाएं और महिलाएं पृष्ठ संख्या **178**

9– डॉ शर्मा विरेन्द्र, डॉ शर्मा ऋचा– *''पंचायती राज''* पंचायती राज का कियान्वयन एंव अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पृष्ठ संख्या **74**

10– डॉ शर्मा विरेन्द्र, डॉ शर्मा ऋचा– *''पंचायती राज''* पंचायती राज का कियान्वयन एंव अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पृष्ठ संख्या **84**

11– कुमार पार्थिव– *''नए समाज की बुनियाद पंचायती राज''* योजना पत्रिका माह अगस्त 2018 (भारत सरकार, नई दिल्ली) पृष्ठ संख्या **47**

12– देवपुरा प्रतापमल– *''ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायतें''* मानव अधिकारो की रक्षा और पंचायतों का दायित्व पृष्ठ संख्या **142**

13– कुमार पार्थिव– *''नए समाज की बुनियाद पंचायती राज''* योजना पत्रिका माह अगस्त 2018 (भारत सरकार, नई दिल्ली) पृष्ठ संख्या **48**